

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

५६

संख्या:-जी-29एफए/15-499एफए/74/15

दिनांक: 22 जुलाई, 2015

- 1 प्रधान प्रबन्धक,
केन्द्रीय कार्यशाला/डा0राम मनोहर लोहिया कार्यशाला,
उ0प्र0परिवहन निगम कानपुर।
- 2 प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0परिवहन निगम कानपुर।
- 3 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/सहायक क्षे0प्र0(वित्त),
उ0प्र0परिवहन निगम।
- 4 प्रबन्धक (आहरण-वितरण),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
मुख्यालय, लखनऊ।
- 5 प्रबन्धक, कारसेक्शन
उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ।
- 6 अधिशासी अभियन्ता(पूर्व/पश्चिम)
निगम मुख्यालय लखनऊ।

विषय :- परिवहन निगम के पूर्णकालिक/पेंशनबुल कार्मिको को 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

शासनादेश सं0-704/30-2-2015-2(19)/2007टीसी दिनांक 21.07.15 द्वारा उ0प्र0 परिवहन निगम के कार्मिको को दिनांक 01.01.15 से मंहगाई भत्ता की दर में 07 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उक्त के परिपेक्ष्य में पूर्व में अनुमन्य 100 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की दर में 07 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01.01.15 से किया जाना है।

तदनुसार माह जुलाई 2015 देय अगस्त 2015 का वेतन 107 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की दर अनुमन्य करते हुये आहरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। माह जनवरी 2015 से जून 2015 के बकायें मंहगाई भत्ते की राशि के सम्बन्ध में निगम की आर्थिक स्थिति एवं धनराशि की उपलब्धता के दृष्टिगत यथा समय धनराशि क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निगम के सेवानिवृत्त कार्मिको को भी, जिन्हें निगम स्तर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, को उपरोक्तानुसार 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान दिनांक 01.01.2015 से पेंशन पर राहत के रूप में किया जायेगा।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि :-सहायक प्रबन्धक(पेंशन/फण्ड/के0मु0/ले0मु0), परिवहन निगम मुख्यालय को सूदनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
वित्त नियंत्रक